बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र07 कि0आ0 03/2014 8346 /खाद्य,पटना/दिनांक 26.10.2015

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- किरासन तेल थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु के उपरान्त तेल कम्पनियों द्वारा पुर्नगठित थोक विक्रेताओं एवं विभागीय संकल्प संख्या- 1183 दिनांक 03.04.2006 के पश्चात् किरासन तेल थोक विक्रेता हेतु निर्गत अनुज्ञप्ति का आवंटन तत्काल प्रभाव से बन्द करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए कहना है कि कतिपय जिलों से किरासन तेल थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के पश्चात् तेल कम्पनियों द्वारा पुर्नगठित एजेंसियों को किरासन तेल आवंटित किये जाने के साथ विभागीय संकल्प संख्या 1183 दिनांक- 03.04.2006 के पश्चात् किरासन तेल एजेंसी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने से संबंधित मार्गदर्शन हेतु मामले विभाग को प्राप्त हो रहे है ।

प्रश्नगत मामले में उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या 1183 दिनांक- 03.04.2006 द्वारा राज्य में किरासन तेल थोक विक्रेता के व्यापार हेतु राज्य एजेन्सी के रूप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को एकाधिकार प्राप्त है । विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश-1984 के कंडिका-09 में निहित प्रावधान के संदर्भ में अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के उपरान्त तेल कम्पनियों द्वारा पुर्नगठित एजेंसियों को व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जा सकती है ।

अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प संख्या- 1183 दिनांक- 03.04.2006 के आलोक में किरासन तेल थोक विक्रेताओं की नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जाय । साथ ही यदि आपके जिलान्तर्गत किरासन तेल थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के उपरान्त तेल कंपनी द्वारा पुर्नगठित किये जाने के पश्चात् किरासन तेल का आवंटन जारी रखने का कोई मामला हो (माननीय न्यायालय के विशिष्ट आदेश को छोड़ कर) तो वैसी स्थिति में उनका आवंटन तत्काल प्रभाव से बन्द की जाय एवं बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश-1984 के कंडिका-09 के आलोक में विधि विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार अनुज्ञप्ति के बिन्दु पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

26/10/2015
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक प्र07-कि0आ0-03/2014 8346 /खाद्य,पटना/दिनांक-26.10.2015

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/10/2015
सरकार के सचिव ।

D:\Year 2014-15\File Sec-7\K OIL.doc